मूलवाद में डिक्री

(आदेश 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, गंगापुर

राजस्व लोक अदालत/केम्प कोर्टः न्याय आपके द्वार केम्प लाखोला

पीठासीन अधिकारी– राजलक्ष्मी गहलोत (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :–28/2016 वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 आरटीए

1. उदयराम पिता बालू जाट निवासी लाखोला तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
2. गणेश पिता बालू जाट निवासी लाखोला तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

वादीगण

बनाम

1. रतनलाल पिता भैरूलाल जाट निवासी लाखोला तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
2. सुन्दर पिता भैरूलाल जाट निवासी लाखोला तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
3. गीता पिता भैरूलाल जाट निवासी लाखोला तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
4. शांता पिता भैरूलाल जाट निवासी लाखोला तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
5. ननी बेवा भैरूलाल जाट निवासी लाखोला तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
6. उपपंजीयक महोदय सहाडा तहसील सहाड़ा मु. गंगापुर जिला भीलवाड़ा।
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर जिला भीलवाड़ा।

प्रतिवादीगण

दिनांकः– 12.06.2018

वादी की ओर से अधिवक्ता श्री अरविन्द चौधरी की उपस्थिति में इस वाद में आज दिनांक 12.06.2018 को मेरे समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है ओर डिक्री दी जाती हैं कि–

ग्राम लाखोला के आराजी नं. 3289/892/0.32 है. मे से 0.08है. भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम लाखोला के आराजी न. 3289/892/0.32 है. मे से 0.08हैं. भूमि प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 5 के नाम राजस्व रेकार्ड से कम की जाकर वादीगण के नाम खातेदारी हक से इन्द्राज किया जावे। तहसीलदार सहाडा को आदेशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में वादीगण के नाम अमल दरामद सुनिश्चित किया जावे। राजीनामें को इस आदेश का भाग माना जावे।

(राजलक्ष्मी गहलोत)
सहायक कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी गंगापुर

डिकी आज दिनांक 12.06.2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गई।

(राजलक्ष्मी गहलोत)
सहायक कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी गंगापुर

न्यायालय सहायक कलक्टर पदेन उपखण्ड अधिकारी गंगापुर
जिला–भीलवाड़ा (राज0)
राजस्व लोक अदालत/केम्प कोर्टः न्याय आपके द्वार केम्प लाखोला
पीठासीन अधिकारी– राजलक्ष्मी गहलोत (आर.ए.एस.)

वाद संख्या :–28/2016 वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 आरटीए

1. उदयराम पिता बालू जाट निवासी लाखोला तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
2. गणेश पिता बालू जाट निवासी लाखोला तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

वादीगण

बनाम

1. रतनलाल पिता भैरूलाल जाट निवासी लाखोला तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
2. सुन्दर पिता भैरूलाल जाट निवासी लाखोला तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
3. गीता पिता भैरूलाल जाट निवासी लाखोला तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
4. शांता पिता भैरूलाल जाट निवासी लाखोला तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
5. ननी बेवा भैरूलाल जाट निवासी लाखोला तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
6. उपपंजीयक महोदय सहाडा तहसील सहाड़ा मु. गंगापुर जिला भीलवाड़ा।
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर जिला भीलवाड़ा।

प्रतिवादीगण

:: वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 आरटीए ::

निर्णय दिनांकः– 12.06.2018

पत्रावली राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2018 के तहत मुकाम लाखोला प्रस्तुत हुई। प्रकरण के संक्षेप में तथा इस प्रकार है कि वादीगण ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 88, 188 आरटीए का प्रस्तुत कर वाद पत्र निवेदन किया है कि ग्राम लाखोला के साबिक आराजी न. 873 रकबा 3.04 है0 भूमि खातेदार लहरू–रामलाल पुत्र नारू एवं मोजीराम भवानीराम पुत्र किशना जाट निवासी लाखोला के नाम दर्ज रेकार्ड थी। स्थित थी जिससे रास्ते के मद में कोई रकबा अंकित नहीं था।

वाद पत्र की कलम संख्या 1 में अंकित साबिक आराजी में तत्कालीन खातेदार मोजीराम पुत्र किशना जाट ने अपने हिस्से में से उक्त आराजी के 1/8 भाग यानि 8 बिस्वा का दिनांक 12.08. 1977 का वादीगण उदयराम गणेश पुत्र बालू जाट को 1200/ रू. के विक्रयकर उनके पक्ष में पंजीबद्ध करवा दिया और विक्रय की गई भूमि का जोकि पर पडौसियों के मध्य कब्जा वादीगण का सुपुर्द कर दिया।

साबिक आराजी संख्या 873/1 जिसका कि आंशिक भाग वादीगण को तत्कालीन खातेदार द्वारा विक्रय किया जाकर कब्जा सुपुर्द किया गया जिसके भू प्रबन्ध के बाद नये नम्बर 892/0.69 है. बने जिसका बाद में विभाजन होकर 3289/892 रकबा 0.32 है. अलग नम्बर कायम होकर वर्तमान में प्रतिवादीगण संख्या1 लगायत 5 के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज रेकार्ड है। वादीगण के अनपढ होने की वजह से पंजबद्ध विक्रय पत्र द्वारा भूमि क्रय करने के बाद अलग से नामान्तरणकरण अपने नाम फेसल करवाने हेतु कार्यवाही नहीं कि जिससे राजस्व रेकार्ड में भूमिया पूर्ववत तत्कालीन खातेदार व बाद में उनके वारिसान के नाम पर अंकित बनी रही वादीगण अपने द्वारा खरीदी गई भूमि बाबत खातेदारी अधिकार की घोषणा कराने के अधिकारी है।

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
गंगापुर जिला भीलवाड़ा (राज.)

वादीगण ने रिलीफ चाही है कि ग्राम लाखोला तह. सहाडा के हाल आरजी संख्या 3289/892 [illegible] है मे से कलम सं. 2 में वर्णित पडौसियों के मध्य जहॉ की वादी काबिज चले आ रहे है [illegible] बिस्वा भूमि के वादीगण रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के जरिये खरीददार होने से खातेदार काश्तकार घोषित होने योग्य है। वादीगण ने वाद पत्र में यह भी रिलीफ चाही है कि स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी फरमाई जावे कि वादीगण द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के क्रयशुदा एवं कब्जे की भूमि के उपभोग में प्रतिवादी कोई बाधा दखल व व्यवधान नहीं पंहुचावें व न ही अन्तरित करें।

वादीगण का वाद पत्र इस न्यायालय में दिनांक 04.02.2016 को पंजिबद्ध किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये। पैरोकार सरकार द्वारा वाद पत्र का जवाब प्रस्तुत किया गया। जिसके अनुसार प्रकरण वाद में भूमि रजिस्टर्ड विक्रय से वादीगण ने क्रय की है जो सही है।

वादीगण ने लोक अदालत की भावना से प्रकरण में राजीनामा करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। प्रस्तुत आवेदन के साथ पक्षकारान द्वारा राजीनामा पत्र भी प्रस्तुत किया। प्रस्तुत राजीनामें के अनुसार "विक्रय पत्र अनुसार विक्रय शुदा भूमि वादी के नाम दर्ज की जावें।" पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामा पत्र मेंरे द्वारा तस्दीक किया गया।

चूंकि पक्षकारान द्वारा राजीनामा प्रस्तुत किया जाकर राजीनामा तस्दीक किया जा चुका है। अतः अब इस वाद पत्र का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर नहीं किया जाकर राजीनामा के आधार पर किया जाना है।

मैनें पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया। ग्राम लाखोला के आर. नं. 873/1 रकबा 3.04 बीघा भूमि लहरू रामलाल पुत्र नारू एवं मोजीराम भवानीराम पुत्र किशना जाट निवासी लाखोला के नाम अन्य आराजियात के साथ खातेदारी हक से दर्ज रेकार्ड है। मोजीराम पुत्र किशना जाट ने अपने हिस्से में से उक्त आराजी के 1/8 भाग यानि 0.08 बिस्वा का दिनांक 12.08.1977 को वादीगण उदयराम गणेश पुत्र बालू जाट निवासी लाखोला को विक्रय किया जाना प्रमाणित होता है। असल विक्रय पत्र शामिल पत्रावली है। साबिक आर. नं. 893/1 रकबा 3.04 के हाल नं. 892/0.69 है. कायम हुए जिसका कि बाद में विभाजन होकर आराजी नं. 3289/892/0.32 है. अलग नं0. कायम होकर वर्तमान में प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 5 के नाम पर राजस्व रेकार्ड में दर्ज रेकार्ड है पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामे के आधार पर विक्रय पत्र के अनुसार विक्रय शुदा भूमि वादीगण के नाम दर्ज की जानी है अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादीगण का वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 आरटीए का स्वीकार योग्य पाया जाता है। अतएवं

आदेश

वादीगण का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88–188 आरटीए का स्वीकार किया जाता है तथा वादीगण को ग्राम लाखोला के आराजी नं. 3289/892/0.32 है. मे से 0.08है. भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम लाखोला के आराजी न. 3289/892/0.32 है. मे से 0.08हैं. भूमि प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 5 के नाम राजस्व रेकार्ड से कम की जाकर वादीगण के नाम खातेदारी हक से इन्द्राज किया जावे। तहसीलदार सहाडा को आदेशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में वादीगण के नाम अमल दरामद सुनिश्चित किया जावे। राजीनामें को इस आदेश का भाग माना जावे। तदनुसार डिक्री जारी हो। निर्णय लिखाया जाकर सुनाया गया।

(राजलक्ष्मी गहलोत)
सहायक कलक्टर
पदेनउपखण्ड अधिकारी
गंगापुर(भीलवाड़ा)